न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 18/2020

मदनमोहन पुत्र मंगतीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गढी ब्राहमण तहसील भुसावर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 24.06.2020 व मुकदमा सरकार बनाम मदनमोहन मि0न0 22/2020 कार्यवाही अन्तर्गत 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थित :– 1. श्री विजयसिह झारोटिया, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 28.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 24.06.2020 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम गढी ब्राहमण की आराजी खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

150 रकवा 48 वर्गफीट किस्म गै0मु0 पहाड बाकै ग्राम गढी ब्रा0 पर नाजायज कब्जा करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि विवादित भूमि से चिपटवा कान्ता पत्नी राधेश्याम योगी का मकान बना हुआ है जिसमें कान्ता परिवार सहित रहती है तथा उसके मकान को इन्दिरा आवास योजना के तहत सरकार की सहायता से बना हुआ है उसके अलावा गांव के अन्य लागों के बीसों मकान बने हुये है परन्तु किसी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्ट का मकान जो आबादी के बीच बना हुआ है उसके विरूद्ध कार्यवाही करना सरासर अन्याय है जो संविधान की समानता के विरूद्ध कार्यवाही करना सरासर अन्याय है। विवादित भूमि में अपीलान्ट का मकान बना हुआ है जिसमें उसका परिवार 60–70 वर्ष से रह रहा है तथा उसकी जानकारी रैस्पोडेन्ट को शुरू से है तथा अभी तक कोई अवरूद्ध आपत्ति नहीं की गई थी तथा सरकार के विरूद्ध कब्जे के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा ऐवसल्यूट हो चुका है तथा तहसीलदार को अपीलान्ट को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विवादित भूखण्ड बाबत अपीलान्ट द्वारा सिविल सूट भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उसमें राजस्थान की ओर से तहसीलदार उपस्थित है। तहसीलदार, जिला कलक्टर के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई साक्ष्य आदि पेश करने एवं पटवारी हल्का के बयान नहीं लेने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

तथा जिरह करने का मौका नहीं दिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2020 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में विवादित भूमि बाबत सिविल न्यायालय में बाद विचाराधीन होना बताया है एवं तहसीलदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द होना जाहिर किया है परन्तु ऐसा कोई न्यायालय आदेश की प्रति अपीलान्ट ने पेश नहीं की है जिससे विवादित भूखण्ड पर कोई स्थगन स्पष्ट होता हो। अपीलान्ट ने तहत अदालत में भी विवादित भूखण्ड को विरासत से प्राप्त होकर कब्जा होने का कथन किया है परन्तु उक्त "पाटौर" के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 150 रकवा 0.63 है0 में से 48 वर्गमीटर पर पाटौर बनाकर अतिक्रमण करना, पटवारी रिपोर्ट एवं खसरा परिवर्तन निर्धारण संवत 2077 से स्पष्ट है। तहसीलदार बयाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर

किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तहसीलदार भुसावर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)